प्रेस–विज्ञप्ति 18.**11.**2016

दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को प्रातः 10:00 बजे से मर्चेंट्स चैम्बर के सर पदमपत सिंघानिया सभागार में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश (एम.सी.यू.पी.) एवं सेंट्रल इंडिया रीजनल कौंसिल ऑफ आई.सी.ए.आई. के संयुक्त तत्वाधान में **"जी.एस.टी."** पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का प्रथम दिवस का आयोजन किया गया ।

प्रथम-दिवस की कार्यशाला (दिनांक 18 नवम्बर, 2016) को दो सत्रों में आयोजित की गयी।
कार्यशाला के प्रथम दिन के उदघाटन-सत्र में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री पदम् कुमार जैन ने कानपुर तथा प्रदेश के विभिन्न शहरों से आये प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा जीएसटी में प्रस्तावित विभिन्न चरणों के सन्दर्भ में विशेषज्ञों का भी अभिवादन करते हुए कहा कि देश की आजादी के पश्चात का सबसे महत्वपूर्ण टैक्स रिफार्म है। उन्होंने भारत के प्रधानमन्त्री द्वारा विमुद्रीकरण के सम्बन्ध में भी कहा कि इससे द्वारा व्यापार में पारदर्शिता आएगी।

मंच पर सी.ए. धर्मेन्द्र श्रीवास्तवा ने आये हुए प्रतिभागियों को धन्यवाद-ज्ञापन किया।

सी.ए. अतुल गुप्ता ने मॉडल जी.एस.टी. (जिसमें सी.जी.एस.टी., आई.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. विषय भी सम्मिलित है) कानून की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह टैक्स रिफार्म नहीं है अपितु बिजनेस रिफार्म है तथा इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि वास्तु एवं सेवा कर 'एक कर एक देश' न होकर एक समान कर की दर करें तो उचित होगा। इसमें हम चाहे किसी भी प्रदेश में माल या सेवा का व्यापार करें कर की दर एक ही रहेगी लेकिन सेवा क्षेत्र में यह समस्या खडी हो जायेगी कि केन्द्रीयकृत पंजीयन के स्थान पर प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हिसाब-किताब एवं अलग-अलग कर निर्धारण के रूप में नयी समस्याए पैदा करेगा। इसके अतिरिक्त चुकी सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का आपस में इनपुट क्रेडिट मिलना प्राम्भ हो जाएगा जो कि अंत में ग्राहकों को कम दर पर माल या सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

भोजनोंप्रांत के तकनीकी सत्र को दिल्ली से पधारे विशेषज्ञ सी.ए. गौरव गुप्ता ने संबोधित किया। उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर के पंजीयन एवं मासिक विवरणी से सम्बंधित प्रावधानों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि पंजीयन से पूर्व पुराने व्यापारी जो सेवाकर या वस्तुकर में पंजीकृत थे उनका नई कर प्रणाली में परावर्तन का कार्य प्रारम्भ हो रहा है जिसके लिए व्यापारी अपना PAN नम्बर VAT विभाग में पंजीकृत करवा लें एवं आगे होने वाली असुविधा से बचें। क्योकि वास्तु एवं सेवा कर में सभी पंजीयन PAN आधारित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मासिक विवरणी तीन बार में भारी जा सकेगी। किसी महीने की विवरणी भरने के लिए अगले

महीने की 10, 15 एवं 20 तारीख को अलग-अलग विवरण ऑनलाइन जमा करने पड़ेंगे। 10 तारीख को बिक्री का विवरण, 15 तारीख को खरीद का विवरण एवं 20 तारीख को पूरा विवरण भरना पड़ेगा।
सी.ए. मनु अग्रवाल ने कहा कि केंद्र द्वारा उठाये गए इस कदम से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए प्रगति के द्वार खुल गए है। एवं उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर के रूप बहुत बड़ी प्रोफेशनल अवसर हम सबके सामने है जिसके लिए अभी जानकारी को अद्यतन करके हम इस अवसर का लाभ उठा सकते है।
उक्त कार्यशाला का संचालन संयोजक एवं रीजनल कौंसिल कोषाध्यक्ष श्री दीप कुमार मिश्रा ने किया। कार्यशाला में उपस्थित गणमान्य: उक्त कार्यशाला में, सीए मुकुल टंडन, श्री ए.के.सिन्हा, एम.सी.यू.पी श्री प्रशांत रस्तोगी, श्री कपिल खन्ना, श्री सुरेश सैनी, श्री शरद त्रिपाठी, , श्री अलोक फरसैया, श्री अरूण ख्वाला, श्री अवधेश मिश्रा, श्री बलराम गुप्ता, मानसी गुप्ता, श्री अखिलेश श्रीवास्तवा, श्री राजीव गुप्ता, शरद श्रीवास्तवा, एवं देशभर के 600 से अधिक प्रतिनिधियों सहित मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश सेंट्रल इंडिया रीजनल कौंसिल ऑफ आई.सी.ए.आई. के सदस्यगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश